

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक व्यावसायिक संस्था,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार)
14, डॉ० बिरेश गुहा स्ट्रीट, कोलकाता - 700 017, भारत

The Indian Science Congress Association

(Professional Body under Department of Science & Technology,
Ministry of Science & Technology, Government of India)
14, Dr. Biresh Guha Street, Kolkata - 700 017, INDIA

रेलवे रियायत

यदि किसी सदस्य को रेलवे रियायत प्रमाण - पत्र की आवश्यकता हो तो वह इस पत्र को महासचिव (सदस्यता कार्य) के पास भेजे। यह रेलवे बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगा।

प्रेषक (सुस्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) :

पता :

दिनांकित:

सेवा में,

महासचिव (सदस्यता कार्य),

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था

14, डॉ० बिरेश गुहा स्ट्रीट, कोलकाता - 700 017

महोदय,

3-7 जनवरी, 2019 में जलंधर के लवली पेशेवर विद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106 वाँ सत्र में मैं उपस्थित रहना चाहता / चाहती हूँ इसीलिए मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप एक प्रमाण - पत्र जारी कर दें ताकि मैं रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किराये के अनुसार टिकट की वापसी पर भुगतान हेतु से जलंधर तक की अपनी यात्रा के दौरान रेलवे रियायत का लाभ उठा सकूँ।

*1. मैं केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय या सांविधिक अधिकार का सेवक हूँ।

*2. मैं केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय या सांविधिक अधिकार का सेवक नहीं हूँ।

*3. मेरे यात्रा के खर्चे केंद्रीय / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय या सांविधिक अधिकार द्वारा नहीं उठाये जाएँगे।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरा पूरा कमाई / आय रु 5,000/- प्रति माह से अधिक नहीं है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की सदस्यता संख्या

*जो मद आवेदक के उपर लागू नहीं होता है उसे निश्चित रूप से काट दें अन्यथा रियायत प्रमाण - पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

ध्यान दीजिए :(i)सरकारी सेवक आदि जिनका यात्रा का खर्च केंद्र / राज्य सरकार या स्थानीय निकाय जैसे शहरी निगम या पौर या सांविधिक अधिकार जैसे विश्वविद्यालय आदि या पूर्णरूप से या अंशतः रेलवे रियायत के लिए हकदार नहीं है और यह उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि वे रियायत की मांग नहीं करें। (ii)फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति को रियायत प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा यदि वह मद को काट दें। (iii)उपर्युक्त यदि किसी के यात्रा के खर्चों को पूर्णतः या अंशतः केंद्रीय या राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या कोई अन्य सांविधिक अधिकार या स्थानीय निकाय द्वारा उठाया जा रहा है।

संक्षेप में,कोई भी व्यक्ति यदि मद (iii) की हकदार होने की मांग करता है तो उसपर मद (i) या मद (ii) के साथ - साथ आय संबंधी शर्त भी लागू होने पड़ेंगे।वेतन प्रमाण- पत्र की एक प्रति संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।